

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन-बीकानेर/543/2025/82

दिनांक:- 10/02/2025

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चुरू के आदेश क्रमांक संस्था/अराज/2024/1552 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा श्रीमति शशिकान्ता शुक्ला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डवा जिनकी जन्मतिथि 27.07.1964 है को राज्य सेवा से दिनांक 31.07.2024 को सेवानिवृत्ति किया गया था को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 10/02/2025

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन-बीकानेर/543/2025/82

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चुरू को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण मे विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अविलम्ब निदेशालय भिजवाये जिससे प्रकरण मे आगामी कार्यवाही संपादित की जा सके।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संस्थापन अधिकारी, राजहैल्थ/डी0पी0सी0 अनुभाग मुख्यालय।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

Signature valid



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2025.02.09 18:39:53 IST
Reason: Approved